अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडारायसिंह जिला - टोंक (राज.)

केसरा बनाम बद्री

किस्म मुकदमा : दावा / ~~दर~~ / ~~इजराय~~ .... नम्बर 29 वर्ष 2018

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.19	प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी) का मुख्य रूप से कथन हैं कि वादी ने उक्त उनवानी प्रकरण में जिस आराजी का दावा पेश किया हैं उस आराजी का वादी व प्रतिवादी के मध्य मिसल नं. 239/2007 नारायणी बनाम केसरा का दि० 11.5.2015 को न्यायालय हजा द्वारा तकासमा आराजियात का दावा डिक्री किया गया जिसमें प्रतिवादी को अलग 2 खसरा नम्बर दे दिया गया है, जिसमें वादी के हक में ख.नं. 1564/2 रकबा 0.69 हैक्टेयर का और प्रतिवादी बद्री, जगदीश, नारायणी के हक में ख.नं. 1566 रकबा 0.51 हैक्टेयर ख.नं. 1564/1 रकबा 0.17 हैक्टेयर का दावा डिक्री हो चुका है तथा मौके में तसलीम होकर अलग 2 खसरा नम्बरों का रिकार्ड में अंकन हो चुका है। वादी ने उक्त डिक्री व आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील भी नहीं की है जो मियाद बाहर हो चुकी है। डिक्री को निरस्त करवाये बिना दावा चलने योग्य नही है खसरा नं. 1566 व 1564/1 में वादी केसरा को डिक्री द्वारा स्वामी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा चुका हैं, लेकिन वादी उक्त वाद की आड़ में प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। वादी का वाद उक्त न्यायालय हजा में चलने योग्य नहीं है अतः वाद वादी मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी (वादी) ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र कपोल कल्पित निराधार मिथ्या विरुद्ध है राजस्व	

हुक्म

वाद सं. 239/2007 नारायणी बनाम केसर का तकासमा का था उक्त वाद दिनांक 11.5.2014 को डिक्री हुआ है जबकि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद मे मय खातेदारी, इस्तकरार हुकूक, स्थायी निषेधाज्ञा का है उक्त वाद वादी ने ग्राम खरेड़ा के तहत ख.नं. 1642/, रकबा 8:00 बीघा मे से 4:00 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र दि० 8.6.1982 को खातेदार लादू उर्फ लादया पुत्र नन्दा जाति चमार नि० खरेड़ा से क्रय किया था तब से ही वादी निरन्तर उस पे काबिज चला आ रहा है और राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादियों ने बिना हक अधिकार के खातेदारी भी दर्ज की गई उसी के बाबत वाद पेश किया है इसलिए पूर्ववर्ती वाद पश्चात् वर्ती वाद पर लागू नहीं होता है राजस्व वाद सं. 239/2007 नारायणी बनाम केसर का तकासमा का वाद था जिसमें पक्षकारों के मध्य बंटवारा हुआ है और उक्त वाद की परिस्थिति एवं विवाद अलग-2 है राजस्व वाद सं. 239/2007 में वादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी पूर्व वर्ती वाद एवं वाद हाजा में अनुतोष समान नहीं है दोनों वादों की परिस्थितियां एवं विवाद मूल अलग-2 है लिहाजा प्रार्थना पत्र O.7 R.11 CPC खारिज फरमाया जावे।

बहस समसमझी गयी जो सुरक्षा हुनाऊ के प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। अभि०वादी (अप्रार्थी) ने RRT 2009(1) बि 449 का हवाला दिया।सने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को देखा। हस्तगत वाद धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत पेश किया है जबकि पूर्ववर्ती वाद सं. 239/2007 उनवानी नारायणी वगैरा बनाम केसर वगैरा बाबत इस्तकरारहक, तकासमा आराजियात व स्थायी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निषेधाज्ञा का है वादी द्वारा ख.नं. 1642/, रकबा 8:00 बीघा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 4:00 बीघा भूमि जरिये रजि० विक्रय पत्र दिनांक 8.6.1982 को पूर्व खातेदार लादू उर्फ लादया पुत्र नन्दा जाति चमार सा० खरेड़ा से क्रय किया जाना जाहिर है वादी की आराजी साबिक से हाल में कब्जा कर देना बताते हुए वादी हस्तगत वाद लेकर आया है प्रस्ता० में पूर्व प्रकरण सं. 43/2016 खाता व जरिये पत्र नं. 29/2016 उनवानी केसर बनाम बद्री वगैरा गैरिट पर निर्णित नहीं हुए हैं बल्कि O.23 R.1 CPC के तहत नवीन वाद पेश करने की अनुमति के साथ विड्रा किये गये हैं लेकिन पूर्ववर्ती वाद सं. 239/2007 उनवानी नारायणी बनाम केसर निर्णित दि० 11.5.2014 इस्तकरारहक, तकासमा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा का था। तथा वाद हाजा पु.नं. 29/2018 उनवानी केसर बनाम बद्री भी धारा 88, 188, 209 RTA सपठित धारा 136 LR Act. के तहत पेश किया है दोनों प्रकरणों के पक्षकारान भी समान हैं अनुतोष भी समान है वादग्रस्त आराजियात भी समान है वादग्रस्त आराजियात के बाबत पूर्व में दिनांक 11.5.2014 को ही इन्हीं पक्षकारों के बीच निर्णय हो चुका है जिसकी वादी केसर अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन अपील नहीं कर पुनः नया वाद पेश कर कानूनी भूल की है प्रकरण में O.7 R.11 CPC के प्रावधान लागू होते है

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी O.7 R.11 CPC स्वीकार किया जाकर वाद हाजा खारिज किया जाता है। अभि० वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में लागू नहीं होते है। आदेश आज दिनांक 12/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विधिवत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(डॉ. ... नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
रेवदर/सिरोही